प्रतिवेदन

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में **"हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान"** श्रृंखला के अंतर्गत **"भारतीय संविधान: समानता व समरसता"** विषय पर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस गोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि तथा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के निदेशक **कर्नल आकाश पाटील** मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय और आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की, जबकि मंच संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया।

अपने संबोधन में कुलपति प्रो. काम्बोज ने कहा कि भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, बहुल सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। प्रो. काम्बोज ने इस बात पर विशेष बल दिया कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल अधिकारों की जानकारी पर्याप्त नहीं, बल्कि कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी उतना ही अनिवार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का गंभीर अध्ययन कर उन्हें अपने व्यवहार, शिक्षा और सामाजिक जीवन में उतारें, जिससे संविधान के आदर्श ज़मीनी स्तर पर साकार हो सकें।

कर्नल आकाश पाटील ने मुख्य वक्तव्य में कहा कि भारतीय संविधान मात्र एक विधिक दस्तावेज न होकर राष्ट्र की आत्मा और लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है, जिसकी पचहत्तर वर्ष की यात्रा ने विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र की क्षमता सिद्ध की है। उन्होंने बताया कि संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की ठोस गारंटी देता है, साथ ही नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मानव गरिमा, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जैसे कर्तव्यों के प्रति जागरूक और उत्तरदायी रहें।

कर्नल आकाश पाटील ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; यदि नागरिक केवल अधिकारों पर ज़ोर देकर कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे तो लोकतंत्र के संतुलन और संविधान की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अपने ऐतिहासिक संदर्भों से युक्त वक्तव्य में कर्नल पाटील ने उल्लेख किया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से यह पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ, जिसके साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए जो सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों को मुख्यधारा में लाने, भेदभाव कम करने और समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। **कर्नल पाटील** ने युवा पीढ़ी से अपेक्षा की कि वे डॉ. अम्बेडकर की संवैधानिक दृष्टि को समझकर सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और समावेशी विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएँ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं

कार्यक्रम समन्वयक डॉ. पवन कुमार ने स्वागत उद्‌बोधन में जानकारी दी कि संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 से “हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान” नामक वर्षभर चलने वाले विशेष आयोजन की शुरुआत की गई थी।

इस अभियान के अंतर्गत विश्वविद्‌यालय में संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका और प्रभाव पर व्याख्यान, राज्य स्तरीय प्रस्तावना-वाचन, “डॉ. अम्बेडकर का राष्ट्रीय चिंतन” विषयक संगोष्ठियों तथा “संविधान स्वाभिमान यात्रा” जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्‌देश्य शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्‌यार्थियों और आम नागरिकों को संवैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेदों की बारीकियों से परिचित कराना था।

डॉ. रमेश कुमार, निदेशक मानव संसाधन प्रबंधन, ने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष-भर चले अभियान और समापन गोष्ठी के जरिये विश्वविद्‌यालय ने शैक्षणिक परिसर को संवैधानिक मूल्यों की प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है, जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान के साथ नागरिक उत्तरदायित्व की भावना भी मजबूत हो।

सभागार को “हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान” विषयक पोस्टरों, संविधान की प्रस्तावना तथा डॉ. अम्बेडकर की प्रेरक तस्वीरों से सजाया गया, जिससे पूरे वातावरण में राष्ट्रीय गौरव और संवैधानिक चेतना की अनुभूति बनी रही। विचार-गोष्ठी के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय संविधान की आत्मा को समझने के लिए केवल अधिकारों की जानकारी पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, पारस्परिक सम्मान, भाईचारे, और कर्तव्यपालन की संस्कृति को भी समान महत्व देना

आवश्यक है; इसी संतुलन से लोकतंत्र मजबूत होता है और नागरिक जीवन में वास्तविक समानता स्थापित हो पाती है।

मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना भी जरूरी : प्रो. काम्बोज

समानता व समरसता विषय पर एक कार्यक्रम

भास्कर न्यूज | हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधानः समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बीआर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संबिधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पवन कुमार ने सभी का स्वागत किया। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। मंच का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

हकृवि में आयोजित गोष्ठी में उपस्थित कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज

दैनिक पाठकपक्ष, हिसार, रविवार, 23 नवम्बर, 2025

हकृवि में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधानः समानता व समरसता' विषय पर कार्यक्रम आयोजित

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना ज़रुरी : प्रो. बी.आर. काम्बोज

-पाठकपक्ष न्यूज-

हिसार, 23 नवम्बर : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधानः समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे।

कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज वही है जहां नागरिक एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। यही भावना भारत को विविधताओं में एकता का अनूठा उदाहरण बनाती है। कुलपति ने कहा कि वे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। संविधान का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी निष्ठा पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करे।

मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। डॉ भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और दूरदर्शी योगदान माना जाता है उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई और समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधानों का मार्ग प्रशस्त किया।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पवन कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 से आरंभ होकर अबतक वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमानट्ट के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अनेक कार्यक्रम जैसे संविधान सभा में डॉ अंम्बेडकर जी की भूमिका एवं प्रभाव, राज्य स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम, डॉ अंम्बेडकर जी का राष्ट्रीय चिंतन, संविधान स्वाभिमान यात्रा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गये। वर्ष भर चलने वाले ट्टहमारा संविधान हमारा स्वाभिमानट्ट का आज सफलतापूर्वक समापन पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी संविधान में प्रदत्त किए गए सभी प्रावधानों तथा अनुच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। विश्वविद्यालय के कैंपस स्कूल से काजल व राजकीय स्कूल, हिसार से छात्रा तन्नू ने संविधान पर अपने विचार रखे। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। मंच का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।